रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032026-270595
CG-DL-E-02032026-270595

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 990] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947
No. 990] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026

का.आ. 1034(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बने गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, गठन करती है, अर्थात् :--

सारणी

क्रम संख्या	सदस्य	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	सचिव, (पर्यावरण), गोवा सरकार, पणजी, गोवा।	अध्यक्ष, पदेन;

2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, पणजी, गोवा।	सदस्य, पदेन;
3.	निदेशक, पंचायत निदेशालय, पणजी, गोवा।	सदस्य, पदेन;
4.	निदेशक, पर्यटन निदेशालय, पणजी, गोवा।	सदस्य, पदेन;
5.	निदेशक, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय, पणजी, गोवा।	सदस्य, पदेन;
6.	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पणजी, गोवा।	सदस्य, पदेन;
7.	निदेशक, निपटान और भूमि अभिलेख निदेशालय, पणजी, गोवा।	सदस्य, पदेन;
8	निदेशक, शहरी विकास विभाग, पणजी, गोवा।	सदस्य, पदेन;
9	निदेशक, मत्स्य विभाग निदेशालय, पणजी, गोवा।	सदस्य, पदेन;
10	सदस्य सचिव, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सलीगाओ, गोवा।	सदस्य, पदेन;
11	डॉ. सुशांत सुरेश नाईक, प्रधान वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना, पोला, गोवा।	विशेषज्ञ सदस्य;
12.	श्री संदीप चोडनेकर, मुख्य अभियंता, (भवन), पीडब्ल्यूडी, हा.नं. 338, विकास नगर, कैरामबोलिम, गोवा।	विशेषज्ञ सदस्य;
13.	श्री गणेश वेलिप, पूर्व-कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निवास 4707, पद्मनारायण एस्टेट, जीवोतम मुथ के पास, गोगल, मडगांव, गोवा।	विशेषज्ञ सदस्य;
14.	श्री सत्येश काकोडकर,	विशेषज्ञ सदस्य;

	सहायक आचार्य, डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फातोर्डा, मडगांव, गोवा।	
15.	अरण्य पर्यावरण अनुसंधान संगठन, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), गोवा, का प्रतिनिधित्व इसके संस्थापक श्रीमती हर्षद सच्चिदानंद गौंस द्वारा किया गया एईआरओ-सीईसी, सी/ओ महामाया वाचनालय, गाँवकरवाड़ा मायेम, गोवा-403504	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन;
16.	निदेशक और पदेन संयुक्त सचिव (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पणजी, गोवा।	सदस्य-सचिव,पदेन।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय पणजी, गोवा में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी।

4. सदस्य, पदेन सदस्य को छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा तय निबंधनों और शर्तों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

5. सदस्य, किसी भी तरह के हितों के टकराव से बचने के लिए, किसी ऐसी परियोजना के, जिसके लिए उन्होंने परामर्श सेवा प्रदान की है, अंकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की किसी बैठक में से स्वयं को अलग कर सकेंगे ।

6. प्राधिकरण गोवा राज्य में तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार तथा तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्: -

(i) अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, संख्या का.आ.19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के अनुसार परियोजना प्रस्ताव से परियोजना प्रस्ताव की मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करना और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में सभी विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करना;

(iii) उक्त अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन को लागू करना तथा निगरानी करना;

(iv) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 4650(अ.), तारीख 30 सितम्बर, 2022 में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्देश जारी करना;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना;

(vi) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत करना;

(vii) तटीय विनियम जोन क्षेत्र के वर्गीकरण और तटीय जोन प्रबंध योजना में परिवर्तन या उपांतरण के लिए राज्य सरकार से मिले प्रस्ताव की परीक्षा करना और उस अधिसूचना के अधीन राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उन पर विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना; और

(viii) उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उक्त अधिसूचना के अनुपालन में विफलता या उल्लंघन के मामलों की स्वप्रेरणा से अथवा उसके समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जांच और पुनर्विलोकन करना।

7. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अधीन बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण एवं उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अधीन न्यायालयों के आदेश भी हैं और गोवा की राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा ।

8. प्राधिकरण छह माह में कम से कम एक बार अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को भेजेगा।

[फा. सं. 12-6/2005-आईए.III]

तन्वी गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2026

S.O. 1034(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Goa Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following members specified in column (2) of the Table below, for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

TABLE

Serial Number	Member	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Secretary,(Environment), Government of Goa, Panaji, Goa.	Chairperson, *ex officio;*
2.	Principal Chief Conservator of Forest, Department of Forest, Panaji, Goa.	Member, ex officio;
3.	Director, Directorate of Panchayats, Panaji, Goa.	Member, *ex officio;*
4.	Director, Directorate of Tourism, Panaji, Goa.	Member, *ex officio;*
5.	Director, Directorate of Industries, Trade and Commerce, Panaji, Goa.	Member, *ex officio;*
6.	Chief Engineer, Water Resources Department, Panaji, Goa.	Member, *ex officio;*
7.	Director, Directorate of Settlement and Land Records, Panaji, Goa.	Member, *ex officio;*
8	Director, Department of Urban Development, Panaji, Goa.	Member, *ex officio;*
9	Director, Directorate of Fisheries Department, Panaji, Goa.	Member, *ex officio;*
10	Member Secretary, Goa State Pollution Control Board, Saligao, Goa.	Member, *ex officio;*
11.	Dr. Sushant Suresh Naik, Principal Scientist, Council of Scientific and Industrial Research, National Institute of Oceanography Dona Paula, Goa.	Expert Member;

12.	Shri Sandip Chodnekar, Chief Engineer, (Buildings), PWD, H.no. 338, Vikas nagar, Carambolim, Goa.	Expert Member;
13.	Shri Ganesh Velip, Ex-Executive Engineer, Public Works Department, residence of 4707, Padmanarayan Estate, Near Jivotam Muth, Gogal, Margao, Goa.	Expert Member;
14.	Shri. Satyesh Kakodkar, Assistant Professor, Don Bosco College of Engineering, Fatorda, Margao, Goa.	Expert Member;
15.	Arannya Environment Research Organisation, Non- Governmental Organization (NGO), Goa, represented by its Founder Smt. Harshada Satchidanand Gauns. AERO-CEC, C/o Mahamaya Vachanalaya, Gaonkarwada Mayem, Goa-403504	Member, Non -government Organisation;
16.	Director and Ex- Officio Joint Secretary (Environment & Climate Change), Department of Environment & Climate Change, Panaji, Goa.	Member- Secretary, *ex officio.*

2. The Headquarter of the Authority shall be at Panaji, Goa.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one- third of the total number of its Members.

4. A Member, other than Member, *ex officio*, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.

6. The Authority shall take following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Goa, namely: -

(i) examine proposals received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Published vide number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendation for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of application;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) enforce and monitor the implementation of provisions of the said notification;

(iv) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India, number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022;

(v) exercise powers under section 10 of the said act;

(vi) make a complaint under section 19 of the said Act;

(vii) examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority under the said notification; and

(viii) inquire and review cases of failure of compliance or contravention of the said Act or rules made thereunder or the said notification, *suo-moto* or on the basis of a complaint made by any person before it.

7. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on failure of compliance or contravention of the said notification and action taken on such failure or contravention and court matters including the orders of the court, and the approved Coastal Zone Management Plan of the Government of Goa.

8. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. 12-6/2005-IA.III]

TANVI GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.02 11:11:47 +05'30'